पत्रावली आइन्दा दिनांक 26/9/17

26/9/17 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगणवकील उपस्थित। अनुपस्थित पक्षकारान को आवाज दिलाई गई। अनुपस्थित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 3 राजपेशकार तहसीलदार रानीवाड़ा उपस्थित। प्रार्थीगणवकील की बहस सुनी गई। वकील ने निवेदन किया की प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी मौजा मालवाड़ा के खसरा नम्बर 430/772, 431/773, 432/774 रकबा क्रमशः 0.43 हेक्टेयर, 0.64 हेक्टेयर व 0.02 हेक्टेयर में कबजा काश्त एवं उपयोग व उपभोग मे किसी भी तरह से दखलंदाजी

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

— PTO —

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तारीख में जारी
	करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी एवं काश्त करने से वंचित होने पर जो अपूर्णीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन रुपयों पैसो से नही किया जा सकेगा। साथ ही प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का भी हनन होगा जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी मे प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग, कब्जे काश्त मे किसी तरह से दखलंदाजी को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक होगा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मौजा मालवाड़ा के खसरा नम्बर 430/772 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 431/773 रकबा 0.64 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 432/774 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 1.09 है. स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। तथा हस्तगत प्रकरण मे तहसीलदार रानीवाड़ा जवाब देना नही चाहते है। तथा प्रार्थीगण कब्जे काश्त के अनुसार विधिक बंटवाड़ा करवाना चाहते है। इसलिए विधिक बंटवाड़ा करवाये बिना किसी प्रकार का बेचान या दखलंदाजी कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने से ताफैसला वाद रोका जाना न्याय संगत है। तथा मूल वाद मे कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण	

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[ख] अहकाम जो इस[...] की तामिल में ज[...]
	के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिती मौजा मालवाड़ा के खसरा नम्बर 430/772, 431/773, 432/774 रकबा क्रमशः 0.43, 0.64, 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर की यथा स्थिती बनाये रखेंगें। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावे। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] **सहायक कलेक्टर** **रानीवाड़ा जिला-जालोर**	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.26 21:20:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: